संख्या-9/2018/क0नि0-4-1525/11-2017-300(1)/16ए

प्रेषक,

मो0 मारूफ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2018**

विषय: वर्ष 2018-19 हेतु जी0एस0टी0एन0 के क्रियान्वयन एवं रखरखाव के लिए गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क के पक्ष में रु0-18.65 करोड़ की धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी0एस0टी0एन0 भुगतान/यूजर चार्जेस/2017-18/1076/वाणिज्य कर, दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क के यूजर चार्जेज हेतु धनराशि रु0-18.65 करोड (रुपया अठारह करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में उक्त मद में प्राविधानित धनराशि से अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

3- उक्त भुगतान की कार्यवाही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए फरवरी के आखिरी सप्ताह में (यथासंभव 28.02.2018 को) किया जाना सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2018/क0नि0-4-1525(1)/11-2017, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक/एडिशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।